रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2009/वैशाख 25, 1931
No. 78] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2009/VAISAKHA 25, 1931

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2009

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों और अन्य वृत्तिकों के नियोजन के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2009

(2009 का सं. 1)

सं. आर-40007/6/विनियम-वृत्तिक/अधिसूचना/04-सीसीआई.—भारत का प्रतिस्पर्धा अयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 17 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 64 की उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों और अन्य वृत्तिकों के नियोजन के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2009 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अधिनियम" से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "महानिदेशक" से अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त आयोग का महानिदेशक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अधिनियम की उस धारा के अधीन नियुक्त कोई अपर, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशक सम्मिलित है;

(ङ) इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए "विशेषज्ञ या वृत्तिक" से कोई सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट सामर्थ्य वाला ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास अर्थशास्त्र, विधि, कारबार या प्रतिस्पर्धा से संबंधित ऐसे किसी अन्य अनुशासन में विशेष ज्ञान और अनुभव हो, जिसे आयोग अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आवश्यक समझे ;

(च) "सचिव" से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सचिव अभिप्रेत है और इसमें सचिव के रूप में कार्य करने के लिए अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत आयोग का कोई अधिकारी सम्मिलित है ;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका, यथास्थिति, अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में है ।

3. विशेषज्ञों और वृत्तिकों का नियोजन.-

आयोग अर्थशास्त्र, विधि, कारबार या प्रतिस्पर्धा से संबंधित किसी ऐसे अन्य अनुशासन, जिसे आयोग उचित समझे, के क्षेत्रों में ऐसी संख्या में विशेषज्ञों और वृत्तिकों का नियोजन कर सकेगा, जिन्हें वह उचित समझे ।

4. विशेषज्ञों और वृत्तिकों के कृत्य.-

आयोग द्वारा नियोजित विशेषज्ञ और वृत्तिक ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे, जैसा अध्यक्ष द्वारा, आयोग को सहायता करने के लिए निदेश किया जाए ।

5. विशेषज्ञों और वृत्तिकों की अर्हताएं, अनुभव और वर्गीकरण.-

(1) नियोजित किए जाने वाले विशेषज्ञों और वृत्तिकों को उनकी विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्रों में अर्हता और अनुभव तथा/या उनकी वृत्ति में उनकी प्रमुखता के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, जैसा कि अनुसूची - 1 में दिया गया है :

परंतु यह कि आयोग ऐसे किसी अन्य अनुशासन से, जिसे अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के निर्वहन में आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझा जाए, विशेषज्ञों और वृत्तिकों को नियोजित कर सकेगा ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन रहते हुए और संबंधित अनुशासनों में अर्हता, विशेषज्ञता और अनुभव पर निर्भर करते हुए, विशेषज्ञों को अनुसूची - 2 में दिए गए अनुसार पांच स्तरों में प्रवर्गीकृत किया जाएगा ।

6. विशेषज्ञों और वृत्तिकों को संदेय पारिश्रमिक.-

(1) आयोग द्वारा विशेषज्ञों और वृत्तिकों के विभिन्न प्रवर्गों को संदाय किया जाने वाला पारिश्रमिक अनुसूची - 3 के अनुसार होगा :

परंतु यह कि आयोग लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विशेष रूप से योग्य मामलों में अनुसूची - 3 में उल्लिखित पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक संदाय करने का करार कर सकेगा ।

7. कार्यपालन का मूल्यांकन.-

इन विनियमों के अधीन नियोजित प्रत्येक विशेषज्ञ और अन्य वृत्तिक के, उसे समनुदेशित कार्य और उसके द्वारा परिदत्त आउटपुट के प्रतिनिर्देश से कार्यपालन का, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले समय के भीतर और रीति के अनुसार, आवधिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाएगा ।

8. विशेषज्ञों और वृत्तिकों के चयन के लिए प्रक्रिया.-

(1) विशेषज्ञों और वृत्तिकों को सामान्यतः आयोग द्वारा संविदा के आधार पर नियोजित किया जाएगा और उनके नियोजन की अवधि सामान्य रूप से तीन मास से कम नहीं होगी तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(2) आयोग, समय-समय पर, नियोजित किए जाने वाले विशेषज्ञों और वृत्तिकों की संख्या का विनिश्चय कर सकेगा।

(3) ऊपर उपविनियम (2) में यथाउल्लिखित अनुसार नियोजित किए जाने वाले विशेषज्ञों और वृत्तिकों की संख्या का विनिश्चय करने के पश्चात्, सचिव नियोजित किए जाने वाले विशेषज्ञों और अन्य वृत्तिकों की संख्या के ब्यौरे, अपेक्षित अर्हताओं, अनुभव और उन्हें संदेय पारिश्रमिकों की रेंज के साथ आयोग की शासकीय वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और विशेषज्ञों और वृत्तिकों के प्रत्येक स्तर और प्रवर्ग के लिए, प्रत्येक हेतु आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख विहित करते हुए आवेदन आमंत्रित करेगा :

परंतु यह कि सचिव, विशेषज्ञों और वृत्तिकों के प्रत्येक प्रवर्ग और स्तर के लिए उचित लोक सूचना द्वारा आवेदनों को आमंत्रित कर सकेगा।

(4) आयोग, विशेषज्ञों और वृत्तिकों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए एक चयन बोर्ड का गठन करेगा । आयोग चयन बोर्डों में सम्मिलित करने के लिए सुसंगत क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले विख्यात विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकेगा।

(5) सचिव इन विनियमों के अनुसार आवेदनों की संवीक्षा करेगा और साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए प्रत्येक प्रवर्ग में पात्र अभ्यर्थियों की सूचियां तैयार करेगा और एक रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(6) उपविनियम (4) में उल्लिखित चयन बोर्डों की, प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अध्यक्ष की अनुमति से, बैठक बुलाई जाएगी और सचिव पर्याप्त समय पूर्व सूचीबद्ध पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तारीख और स्थान के संबंध में अधिसूचित करेगा।

(7) प्रत्येक प्रवर्ग हेतु नियोजन के संबंध में प्रत्येक चयन बोर्ड की सिफारिशों को सचिव द्वारा विनिश्चय के लिए आयोग के समक्ष रखा जाएगा।

(8) उपविनियम (7) में यथाउल्लिखित अनुसार आयोग द्वारा नियोजनों का अनुमोदन किए जाने पर, सचिव एक प्रस्थापित नियोजन पत्र द्वारा लिखित में प्रत्येक अभ्यर्थी को सूचना देगा, जिसमें उसे नियोजन का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए दस दिन से अन्यून का समय प्रदान किया जाएगा।

(9) उपविनियम (8) के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात्, सचिव प्रत्येक अभ्यर्थी को, उसे पदभार ग्रहण करने के लिए कम से कम तीस दिन का समय देते हुए नियोजन पत्र जारी करेगा :

परंतु यह कि पदभार ग्रहण करने के समय को सचिव द्वारा, यह समाधान हो जाने पर कि व्यष्टि अभ्यर्थी द्वारा ऐसी परिस्थितियों में विस्तारण मांगा गया है, जो उसके नियंत्रण से परे हैं, विस्तारित किया जा सकेगा।

(10) सचिव अगली बैठक में आयोग को ऐसे चयनित अभ्यर्थियों की संख्या की सूचना देगा, जिन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और उपविनियम (2) के अनुसार नियोजित किए जाने के लिए विनिश्चित विशेषज्ञों और वृत्तिकों की कुल संख्या में किसी कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए चयन प्रक्रिया पुनःआरंभ करने के लिए आयोग के आदेश प्राप्त करेगा।

9. विशेषज्ञों और वृत्तिकों के नियोजन के निबंधन और शर्तें.-

(1) विशेषज्ञ और वृत्तिक, नियोजन का प्रस्ताव स्वीकार करने पर, उन्हें कोई कार्य समनुदेशित किए जाने से पूर्व आयोग की ओर से सचिव के साथ एक करार करेंगे, जिसमें एक गोपनीय खंड अंतर्विष्ट होगा और उस करार में नियोजन के निबंधनों और शर्तों के ब्यौरे होंगे।

(2) नियोजन के निबंधों और शर्तों को, विनिर्दिष्ट मामले में उपांतरित किया जा सकेगा, जहां आयोग ऐसा आवश्यक समझता है।

(3) आयोग को उपलब्ध विधिक उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उनके अतिरिक्त, किसी विशेषज्ञ या वृत्तिक द्वारा उपविनियम (1) के अधीन निष्पादित करार के उल्लंघन को, संविदा के अधीन नियोजन की समाप्ति के लिए पर्याप्त आधार माना जाएगा और वह ऐसे विशेषज्ञ या वृत्तिक को आयोग द्वारा किसी भावी नियोजन से प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

10. शिथिल करने की शक्ति.-

आयोग इन विनियमों में अधिरोपित ऐसे किसी निर्बंधनों को शिथिल कर सकेगा, जिन्हें वह अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में आवश्यक समझे।

11. कठिनाइयों को दूर करना.-

इन विनियमों के कार्यान्वयन के विषय में, यदि कोई संदेह या कठिनाई सामने आती है तो उसे आयोग के समक्ष रखा जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

अनुसूची - 1

(विनियम 5 देखें)

विशेषज्ञ और अन्य वृत्तिक का वर्ग	**अर्हताएं**	**अनुभव**
अर्थशास्त्री	**अनिवार्य** - किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या विदेशी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री, औद्योगिक अर्थशास्त्र/ औद्योगक संगठन/ अंतरराष्ट्रीय व्यापार/ अर्थमिति/ गणितीय अर्थशास्त्र/ परिमाणात्मक अर्थशास्त्र पद्धतियां /विधि और अर्थशास्त्र। **वांछनीय** - (i) निरंतर उच्च शैक्षिक परिणाम। (ii) भारत के किसी विख्यात विश्वविद्यालय/ संस्था से या भारत में सम्यक् रूप से मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्था से अर्थशास्त्र, प्रतिस्पर्धा नीति के क्षेत्र में या निकट संबंधी क्षेत्रों से डाक्टर डिग्री।	सूक्ष्म अर्थशास्त्र समस्याओं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश, परियोजना मूल्यांकन और विश्लेषण, औद्योगिक संगठन, औद्योगिक अर्थशास्त्र या परिमाणात्मक अर्थशास्त्रीय तकनीकों का प्रयोग करते हुए प्रतिस्पर्धा निर्धारण सहित आर्थिक विनियमन सम्मिलित है, के क्षेत्र में किसी सरकारी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गैर सरकारी संगठन या विनियामक प्राधिकरणों या क्षेत्रीय/ अंतरराष्ट्रीय/ बहुपार्श्विक संगठनों में अनुभव **या** - विश्वविद्यालयों/ विख्यात अनुसंधान संस्थाओं में सूक्ष्म अर्थशास्त्र/औद्योगिक अर्थशास्त्र/ औद्योगिक संगठन/ अंतरराष्ट्रीय व्यापार/ अर्थमिति/ गणितीय अर्थशास्त्र/ परिमाणात्मक अर्थशास्त्र पद्धतियां या निकट संबंधी विषयों में प्रोफेसर/रीडर/लेक्चरर के रूप में अनुभव।
विधि	**अनिवार्य** - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय और/या भारत या विदेश के किसी संस्थान से एलएलबी की डिग्री या समतुल्य जो भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो। (ii) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के निबंधनानुसार भारत की किसी राज्य विधिज्ञ परिषद में अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अर्हित हो। **वांछनीय** - प्रतिस्पर्धा विधि या विनियामक विधियों या बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी विधियों अथवा अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधियों में विशेषज्ञता वाली उच्च अर्हता।	उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय, सरकारी या विनियामक प्राधिकरण या अधिकरण या किसी अन्य समान मंच में न्यायिक या विधिक कार्य में अनुभव। या, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ भारत या विदेश की किसी वृत्तिक संस्था में प्रतिस्पर्धा विधि में अध्यापन की विशेषज्ञता के साथ रीडर या विधि का सहायक प्रोफेसर या, निगमित सेक्टर में विधिक प्रबंधक या उच्चतर पद, जिसके पास प्रतिस्पर्धा विधियों के अधीन अर्जनों, विलयन और समामेलनों आदि के संबंध में कार्यवाही करने का अनुभव हो ।
चार्टर्ड अकाउन्टेंट	**अनिवार्य** - भारत में चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के निबंधनानुसार चार्टर्ड	बड़े उद्यमों या उपक्रमों के वित्तीय कारबार के संबंध में कार्यवाही करने वाले किसी विख्यात संगठन में चार्टर्ड अकाउन्टेंट के रूप में कार्य किया हो ।

	अकाउन्टेंट। **वांछनीय** - ऐसे चार्टर्ड अकाउन्टेंटों को, जिनके पास अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यूटीओ में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम की अर्हता है, जिसमें प्रतिस्पर्धा विधि एक विषय हो ।	**वांछनीय** प्रतिस्पर्धा विधियों के अधीन अर्जनों, विलियनों और समामेलनों आदि के संबंध में कार्यवाही करने का अनुभव।
लागत लेखाकार	**अनिवार्य** - भारत के अनिवार्य लागत संकर्म लेखांकन अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के निबंधनानुसार लागत संकर्म लेखाकार । **वांछनीय** - प्रतिस्पर्धा विधि या संबंधित क्षेत्रों में सदस्यतापश्च अर्हता।	बड़े उद्यमों या उपक्रमों के वित्तीय कारबार के संबंध में कार्यवाही करने वाले किसी विख्यात संगठन में लागत संकर्म लेखाकार के रूप में कार्य किया हो । **वांछनीय** प्रतिस्पर्धा विधियों के अधीन अर्जनों, विलियनों और समामेलनों आदि के संबंध में कार्यवाही करने का अनुभव।
कंपनी सचिव	**अनिवार्य** - कंपनी सचिव अधिनयम, 1980 (1980 का 56) के निबंधनानुसार कंपनी सचिव। **वांछनीय** - ऐसे कंपनी सचिव, जिन्होंने एक विषय के रूप में प्रतिस्पर्धा विधि के साथ निगम शासन में पश्च सदस्यता अर्हता अर्जित की है ।	बड़े उद्यमों या उपक्रमों के वित्तीय कारबार के संबंध में कार्यवाही करने वाले किसी विख्यात संगठन में कंपनी सचिव के रूप में कार्य किया हो । **वांछनीय** प्रतिस्पर्धा विधियों के अधीन अर्जनों, विलियनों और समामेलनों आदि के संबंध में कार्यवाही करने का अनुभव ।
कारबार प्रबंधन	**अनिवार्य** - भारत के किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या देश में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से मान्यताप्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिग्री और/या स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जिसमें वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता हो और जिसके पास वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतो को कारबार संचालन में प्रयोग करने का अनुभव हो । **वांछनीय** - निरंतर उत्कृष्ट शैक्षिक अभिलेख के साथ उच्चतर अर्हता ।	बड़े उद्यमों या उपक्रमों के वित्तीय कारबार के संबंध में कार्यवाही करने वाले किसी विख्यात संगठन में कारबार प्रबंधक या वित्तीय प्रबंधक के रूप में कार्य किया हो या किसी भारतीय या विदेशी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/वृत्तिक संस्थान में कारबार प्रबंध के प्रोफेसर/रीडर/लेक्चरर के रूप में कार्य किया हो । **वांछनीय** प्रतिस्पर्धा विधियों के अधीन अर्जनों, विलियनों और समामेलनों आदि के संबंध में कार्यवाही करने का अनुभव।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार	**अनिवार्य** - किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय और/या भारत या विदेश के किसी संस्थान से एलएलबी की डिग्री या समतुल्य, जिसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक विषय हो और जो भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या भारत में मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या भारत में सम्यक् रूप से मान्यताप्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से सूक्ष्म अर्थशास्त्र के	बड़े उद्यमों या उपक्रमों के वित्तीय कारबार के संबंध में कार्यवाही करने वाले किसी विख्यात संगठन में अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रबंधक के रूप में कार्य किया हो । **वांछनीय** प्रतिस्पर्धा विधियों के अधीन अर्जनों, विलियनों और समामेलनों आदि के संबंध में कार्यवाही करने का अनुभव ।

India Code

1807 GI/09—2

	साथ अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विशेषज्ञता । **वांछनीय** - निरंतर उत्कृष्ट शैक्षिक अभिलेख के साथ उच्चतर अर्हता ।	
इंजीनियरी	**अनिवार्य** - भारत या विदेश के किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से, जो भारत में सम्यक् रूप से मान्यताप्राप्त हो, इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री। **वांछनीय** - निरंतर उत्कृष्ट शैक्षिक अभिलेख के साथ उच्चतर अर्हता ।	तकनीकी और इंजीनियरी विषयों में व्यौहार करने वाले बड़े संगठन या निगमों में ज्येष्ठ स्तर के पदों पर कार्य किया हो , या किसी भारतीय या विदेशी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/वृत्तिक संस्थान में कारबार प्रबंध के प्रोफेसर/रीडर/लेक्चरर के रूप में कार्य किया हो ।
चिकित्सा	**अनिवार्य** - भारत या विदेश के किसी विश्वविद्यालय से, जो भारत की चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हो, एमडी या एमएस। **वांछनीय** - निरंतर उत्कृष्ट शैक्षिक अभिलेख के साथ उच्चतर अर्हता ।	किसी भारतीय या विदेशी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/वृत्तिक संस्थान में कारबार प्रबंध के प्रोफेसर/रीडर/लेक्चरर के रूप में कार्य किया हो, या चिकित्सा विज्ञान में सहबद्ध प्रोफेसर या प्रोफेसर या चिकित्सा वृत्ति में सुविख्यात व्यक्ति।
विज्ञान	**अनिवार्य** - भारत के किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या किसी ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से, जो भारत में भारतीय विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा सम्यक् रूप से मान्यताप्राप्त हो, प्योर या एप्लाइड साईंसिज में स्नातकोत्तर डिग्री । **वांछनीय** - निरंतर उत्कृष्ट शैक्षिक अभिलेख के साथ उच्चतर अर्हता ।	तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों में व्यौहार करने वाले सरकारी संगठनों या प्राइवेट सेक्टर के संगठनों में ज्येष्ठ स्तर के पदों पर कार्य किया हो, या किसी भारतीय या विदेशी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/वृत्तिक संस्थान में कारबार प्रबंध के प्रोफेसर/रीडर/लेक्चरर के रूप में कार्य किया हो ।
कोई अन्य क्षेत्र	**अनिवार्य** - सुसंगत क्षेत्र में किसी भारतीय या भारत में मान्यताप्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री । **वांछनीय** - निरंतर उत्कृष्ट शैक्षिक अभिलेख के साथ उच्चतर अर्हता ।	(1) प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के प्रमुख उद्योग में, अर्थशास्त्र के ऐसे विनिर्दिष्ट सेक्टर में, जिसमें विशेषज्ञता का दावा किया गया है, ज्येष्ठ स्तर के पद पर कार्य किया हो और/या (2) सुसंगत क्षेत्र में बाजार के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा लेखों के प्रकाशन के माध्यम से या आयोग के समाधानप्रद रूप से लोक प्रसिद्धी द्वारा एक विशेषज्ञ के रूप में मान्यता हो ; या (3) किसी भारतीय या विदेशी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/वृत्तिक संस्थान में कारबार प्रबंध के प्रोफेसर/रीडर/लेक्चरर के रूप में कार्य किया हो ।

		वांछनीय विनियामकों से व्यौहार करने का अनुभव ।

अनुसूची - 2

(विनियम 5 देखें)

विशेषज्ञ/ वृत्तिक का प्रवर्ग	**अर्हतापश्च अनुभव वर्षों में**
स्तर I	तीन वर्ष तक
स्तर II	तीन से पांच वर्ष
स्तर III	पांच से दस वर्ष
स्तर IV	दस से पंद्रह वर्ष
स्तर V	पंद्रह वर्ष से अधिक

IndiaCode

अनुसूची - 3

(विनियम 6 देखें)

विशेषज्ञ/ वृत्तिक का स्तर	**एकमुश्त मासिक पारिश्रमिक**
I	30,000 रुपए नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ
II	50,000 रुपए नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ
III	75,000 रुपए नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ
IV	100,000 रुपए नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ
V	125,000 रुपए नियोजन का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ

एस. एल. बंकर, सचिव

[विज्ञापन III/4/187-एम/09-असा.]

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2009

The Competition Commission of India (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Regulations, 2009
(No. 1 of 2009)

No. R-40007/6/Reg-Expert/Noti/04-CCI.—In exercise of the powers conferred by clause (*d*) sub-section (*2*) of section 64, read with sub-section (*3*) of section 17 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) the Competition Commission of India hereby makes the following regulations, namely: –

1. Short title and commencement.–

(*1*) These regulations may be called the Competition Commission of India (Engagement of Experts and Professionals) Regulations, 2009.

(*2*) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.–

(*1*) In these regulations, unless the context otherwise requires, –

(*a*) "Act" means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);

(*b*) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission appointed under sub-section (*1*) of section 8 of the Act;

(*c*) "Commission" means the Competition Commission of India established under sub-section (*1*) of section 7of the Act;

(*d*) "Director General" means the Director General appointed under sub-section (*1*) of section 16 of the Act and includes any Additional, Joint, Deputy or Assistant Directors General appointed under that section ;

(e) "expert or professional" for the purpose of these regulations means a person of integrity and outstanding ability having special knowledge of, and experience in, economics, law, business or such other discipline related to competition as the Commission deems necessary to assist it in discharge of its functions under the Act;

(*f*) "Secretary" means the Secretary appointed under sub-section (*1*) of section

17 of the Act and includes an officer of the Commission authorized by the Chairperson to function as Secretary;

(2) Words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), as the case may be.

3. Engagement of experts and professionals. –

The Commission may engage such number of experts and professionals in the fields of economics, law, business or such other disciplines related to competition, as it may deem fit.

4. Functions of experts and professionals.–

The experts and professionals engaged by the Commission shall discharge such functions as directed by the Chairperson, in assisting the Commission.

5. Qualifications, experience and classification of experts and professionals. –

(1) The experts and professionals to be engaged shall be classified on the basis of their qualifications and experience in the respective fields of specialization and/or the eminence in their professions as given in Schedule I:

Provided that the Commission may also engage experts and professionals from any other discipline as deemed necessary to assist the Commission in the discharge of its functions under the Act.

(2) Subject to sub-regulation (1) and depending upon the qualification, specialization and experience in respective disciplines, the experts shall be categorized into four levels as given in Schedule II.

6. Remuneration payable to experts and professionals. –

The remuneration to be paid by the Commission to different categories of experts and professionals shall be in accordance with Schedule III:

Provided that the Commission may, for reasons to be recorded in writing, agree to pay higher remuneration than those given in Schedule III, in specially deserving cases.

7. Evaluation of performance.–

The performance of each expert and professional engaged under these regulations, with reference to the tasks assigned and output delivered, shall be reviewed periodically, within such time and manner, as may be specified by the Commission.

8. Procedure of selection of experts and professionals. –

(1) The experts and professionals shall ordinarily be engaged by the Commission on contractual basis for not less than three months and not more than three years.

(2) The Commission may decide, from time to time, the number of the experts and professionals to be engaged.

(3) After the number of the experts and professionals to be engaged is decided, as mentioned in sub-regulation (2), the Secretary shall publish the number of the

experts and professionals to be engaged with details of qualifications, experience needed and the remuneration payable on the official website of the Commission and invite applications for each category and level of expert and professional giving a stipulated last date for the receipt of the applications for each category and level:

Provided that the Secretary may also invite the applications by suitable public notice, for each category and level of expert and professional.

(*4*) The Commission shall constitute a selection board for each category of expert and professional. The Commission may invite eminent experts having special knowledge and experience in the relevant field to join the selection boards.

(*5*) The Secretary shall scrutinize the applications in accordance with these regulations and prepare lists of eligible candidates for each category to be called for interview and submit a report to the Commission.

(*6*) The selection boards mentioned in sub-regulation (*4*) shall be convened with the approval of the Chairperson for each category and the Secretary shall notify the date and the venue of the interview to the short listed eligible candidates sufficiently in advance.

(7) The recommendations of each selection board regarding engagement for each category shall be placed by the Secretary before the Commission for decision.

(8) On approval of the engagements by the Commission as mentioned in sub-regulation (7), the Secretary shall inform each candidate in writing by an offer letter of engagement giving not less than ten days time to accept the offer of engagement.

(9) After receipt of acceptance from the selected candidates as per sub-regulation (*8*), the Secretary shall issue letter of engagement to each candidate giving not less than thirty days time to join:

Provided that the joining time may be extended by the Secretary on being satisfied that extension is sought on circumstances beyond the control of the individual candidate.

(*10*) The Secretary shall inform the number of selected candidates who have joined in the next meeting of the Commission and obtain approval of the Commission to restart the process of selection to fill up the shortfalls, if any, in the total number of experts and professionals decided to be engaged as per sub-regulation (2).

9. **Terms and condition of engagement of experts and professionals. –**

(*1*) The expert and professionals on having accepted the offer of engagement, shall enter into a contract, also having the confidentiality clause, with the Secretary, acting on behalf of the Commission, detailing the terms and conditions of engagement, before being assigned any work.

(*2*) The terms and conditions of engagement may be modified, in a specific case, where the Commission deems it necessary.

(*3*) Without prejudice and in addition to the legal remedies available to the Commission, the breach of agreement executed under sub-regulation (1) by or on behalf of any expert or professional shall be considered a sufficient ground for termination of the engagement made under contract and may further debar such expert or

professional from future engagement by the Commission.

10. Power to relax. –

The Commission may relax such restrictions imposed in these regulations as may be deemed necessary in the discharge of its functions under the Act.

11. Removal of difficulties. –

In the matter of implementation of these regulations, if any doubt or difficulty arises, the same shall be placed before the Commission and the decision of the Commission shall be final.

Schedule I

(See regulation 5)

Class of Expert and professional	Qualifications	Experience
Economist	**Essential -** Post Graduate degree in Economics from either a recognized University in India or abroad, with specialization in Industrial Economics/Industrial Organization/International Trade/ Econometrics//Mathematical Economics/Quantitative Economic methods/Law and Economics. **Desirable –** (i)Consistent high academic performance. (ii)A doctoral degree, from a reputed University/Institution in India or from a University or Institution duly recognized in India, in Economics in the area of competition policy or closely related areas.	In analysis of microeconomic problems, including International trade, investment, project evaluation and appraisal, industrial organization, Industrial economics or economic regulation including competition assessment, using quantitative economic techniques in government, public sector, private sector, Non Governmental Organizations *or* regulatory authorities or regional/international/multilateral organization(s) Or, - in universities/reputed research institutions, as Professor/ Reader/ Lecturer in of Microeconomics/ Industrial Economics/Industrial Organization/International trade/Econometrics/Mathematical Economics/Quantitative Economic methods or closely related subjects.
Law	**Essential –** (i)Degree of LL.B or equivalent from a recognized University and/or Institute in India or abroad, recognized by the Bar Council of India. (ii)Qualified to be registered as an advocate in any State Bar Council of India in terms of Advocate's Act, 1961, **Desirable –** Higher qualification with specialization in competition law or	Experience in judicial or legal work, in Supreme Court, High Court or any other court, government or a Regulatory Authority or a Tribunal or any similar forum. *Or*, Professor/Reader/Lecturer of Law of any recognized University/Professional Institute of India or abroad with specialization in teaching competition law, Or, Legal Manager or above in the Corporate sector having experience of

1807 GI/09-4

indiacode

	regulatory laws or laws relating to Intellectual Property Rights or International Trade Laws.	handling acquisitions, mergers& amalgamations etc. under competition law.
Chartered Accountant	**Essential –** Chartered Accountant in terms of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949). **Desirable –** Chartered Accountants having qualified the Post qualification course in International Trade Laws and WTO with competition law as a subject.	Must have worked as a Chartered Accountant in reputed organization handling financial ventures of large enterprises or undertakings. **Desirable –** Experience of handling acquisitions, mergers& amalgamations etc. under competition law.
Cost Accountant	**Essential –** Cost and Works Accountants in terms of the Cost and Works Accountants Act, 1959(23of 1959). **Desirable –** Post membership qualification in competition law or related areas.	Must have worked as a Cost and Works Accountant in reputed organization handling business ventures of large enterprises or undertakings. **Desirable –** Experience of handling acquisitions, mergers& amalgamations, etc. under competition law.
Company Secretary	**Essential –** Company Secretary in terms of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980). **Desirable –** Company Secretaries having qualified the Post Membership Qualification (PMQ) course in Corporate Governance including competition law as a subject	Must have worked as a Company Secretary in reputed organization handling financial ventures of large enterprises or undertakings. **Desirable –** Experience of handling acquisitions, mergers & amalgamations, etc. under competition law.
Business Management	**Essential -** Post graduate degree and/ or Post graduate diploma in Master of Business Management from a recognized University in India or from a foreign University, duly recognized by a competent authority in the country, with specialization in financial management and having experience in applying principles of financial management to the conduct of business **Desirable –** Higher qualifications with consistent excellent academic record.	Must have worked as a Business Manager or Financial Manager in reputed organization handling financial ventures of large enterprises or undertakings or Professor/Reader/Lecturer of Business Management of any recognized University/Professional Institute of India or abroad . Desirable: Experience of handling acquisitions, mergers,, amalgamations, etc. under competition law.
International Trade	**Essential –** Degree of LL.B or equivalent from a recognized University and/or Institute in India or abroad, recognized by the Bar Council of India with International trade	Must have worked as a International Trade Manager in reputed organization handling International Trade ventures involving imports or exports in large enterprises or undertakings. **Desirable –**

	as a subject or Post graduate degree in Economics with microeconomics and specialization in International Trade from recognized University in India or from a foreign University. **Desirable –** Higher qualifications with consistent excellent academic record.	Experience of handling acquisitions, mergers, amalgamations, etc. under competition law.
Engineering	**Essential –** Post graduate degree in Engineering from any University or Institute of India or abroad, duly recognized in India **Desirable –** Higher qualifications with consistent excellent academic record .	Worked at senior level positions in large Organizations or Corporations dealing with technical and engineering matters, or Professor/Reader/Lecturer of Engineering of any recognized University/Professional Institute of India or abroad.
Medical	**Essential –** MD or MS from a University in India or abroad duly recognized by the Medical Council of India. **Desirable –** Higher qualifications with consistent excellent academic record.	Professor/Reader/Lecturer of medicine of any recognized University/Professional Institute of India or abroad, or a person of eminence in the medical profession.
Sciences	**Essential –** Post graduate degree in pure or applied sciences from a recognized University of India or abroad. **Desirable –** Higher qualifications with consistent excellent academic record.	Of having worked at senior level positions in large Government Organizations or organizations in private sector dealing with technical and scientific matters, or Professor/Reader/Lecturer of sciences of any recognized University/Professional Institute of India or abroad.
Any other sector	**Essential –** Graduate degree from a duly recognized University in India or abroad in the relevant field. **Desirable –** Higher qualifications with consistent excellent academic record.	(1)Of having worked at senior level position in a leading industry in private or public sector, in the specific sector of economy, in which expertise is claimed and/or (2) recognition as an expert in the relevant sector of the market by majority of the market players either through publication of articles or awards or public acclaim to the satisfaction of the Commission; or. (3) Professor/Reader/Lecturer of Business Management of any recognized University/Professional Institute of India or abroad. **Desirable –** Experience of dealing with regulators.

Schedule II

(See regulation 5)

Category of expert and professional	Preferred experience in years
Level I	Upto three years
Level II	Three to five years
Level III	Five to ten years
Level IV	Ten to fifteen years
Level V	Fifteen years or more

Schedule III

(See regulation 6)

Level of expert and professional	Lump sum monthly remuneration
I	Rs. 30,000 with 10 per-cents increase on completion of each year
II	Rs. 50,000 with 10 per-cents increase on completion of each year,
III	Rs. 75,000 with 10 per-cents increase on completion of each year.
IV	Rs. 100, 000 with 10 per-cents increase on completion of each year .
V	Rs. 125, 000 with 10 per-cents increase on completion of each year.

S. L. BUNKER, Secy.

[ADVT III/4/187-M/09-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.